कार्यालय–आशुलिपिक ग्रेड–तृतीय विभागीय पदोन्नति परीक्षा कमेट,

जिला–न्यायालय, डीग (राजस्थान)

क्रमांकः–परीक्षा / 2025 / 01 दिनांक :– 02/04/26

–: सूचना :–

माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, डीग ने अपने कार्यालय आदेश क्रमांक–स्था. / 2025 / 126 दिनांक–12.11.2025 के द्वारा इस कमेटी का गठन करते हुए जिला न्याय–क्षेत्र डीग में आशुलिपिक ग्रेड–तृतीय की विभागीय पदोन्नति हेतु नियमानुसार परीक्षा आयोजित करने एवं परीक्षा परिणाम तैयार करने के निर्देश दिये हैं। अतः आशुलिपिक ग्रेड–द्वितीय के रिक्त पदों पर पदोन्नति हेतु राजस्थान जिला न्यायालय लिपिकवर्गीय संस्थापन्न नियम, 1986 (यथा अद्यतन संशोधित) के प्रावधानों के अन्तर्गत जिला न्याय–क्षेत्र, डीग में स्थित अधीनस्थ न्यायालयों में वर्तमान में कार्यरत विद्यमान आशुलिपिक ग्रेड–तृतीय में से, पदोन्नति द्वारा नियुक्ति हेतु पात्र अभ्यर्थियों की हिन्दी आशुलिपि श्रुतिलेख गति परीक्षा एवं हिन्दी में कम्प्यूटर टंकण गति परीक्षा ली जायेगी, जिसके लिये आवेदन–पत्र आमन्त्रित किये जाते हैं।

इच्छुक अभ्यर्थियों के आवेदन–पत्र, इस सूचना के साथ संलग्न प्रारूप में दिनांक– 10-04-26 को सांय–4.00 बजे तक आवश्यक रूप से इस कार्यालय में प्राप्त हो जाने चाहिये। आवेदन–पत्र संबंधित न्यायालय के पीठासीन अधिकारी से अग्रेषित करवाकर प्रेषित किये जायें। आवेदन–पत्र पर स्वयं का पासपोर्ट साईज का नवीनतम फोटो लगायें तथा राजपत्रित अधिकारी से अभिप्रमाणित करवायें।

(01) **<u>पात्रता</u>**

1. आशुलिपिक ग्रेड–द्वितीय के पद पर पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए आवेदन को जिला न्याय–क्षेत्र, डीग में किसी अधीनस्थ न्यायालय में आशुलिपिक ग्रेड–तृतीय के पद पर कार्यरत होना चाहिये। **<u>ऐसा अभ्यर्थी (आशुलिपिक ग्रेड–तृतीय परिवीक्षाधीन नहीं होना चाहिये।</u>**
2. राजस्थान जिला न्यायालय लिपिकवर्गीय संस्थापन्न नियम, 1986 के नियम–**14A** के अनुसार **"Disqualification for promotion** :- "The person who had not been considered for promotion upto the year 2019-2020 because he/she had more than two children on or after commencement of this rule shall be considered for promotion from the date on which his/her promotion was due and on such prnmotion his/her pay shall be refined at the pay which he/she would have drawn but no arrear shall be paid and if any person who has more than two children on or after commencement of this nile and his promotion becomes due in the year 2020-2021 or thereafter shall be considered for promotion from the date on which his/her promotion becomes due and his/her pay shall be fixed for the promotional post, but he/she shall be enfitled for annual increment notionally for three subsequent years and after such three years

he/she shall be allowed actual benefits of such increments, however no arrears shall be paid for such notional increments. There shall be no consequential effect on subsequent promotions of the person promoted as per provisions of this rule. The person already promoted shall not be reverted due to implementation of this rule."

Provided that if a Government servant had single child on the date of commencement of these rules but more than one child are born in a single subsequent delivery, the children so born shall be treated as one while counting the total number of children.

Provided further that for purpose of this rule birth o1 a child within 280 days from the date of commencement of these rules shall not constitute disqualification.

Provided also that while counting the total number of children of a candidate, the child born from earlier delivery and having disability shall not be counted.

Provided also that any candidate who performed remarriage which is not against any law and before such remarriage he is not disqualified for promotion under this sub- rule, he shall not be disqualified if any child is born out of single delivery from such remarriage.

(Subs. Vide DOP Notification No. F.3(33)DOP/A-II/85Pt. Dt.24.09.2024, Pub. in Raj.Gazette Exty.Pt. lVC Dated 25.09.2024, pg. 197)

इस सम्बन्ध में आवेदन को आवेदन–पत्र के साथ संलग्नक प्रारूप में, 50/–रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर एक शपथ–पत्र (नोटेरी द्वारा नियमानुसार सत्यापित किया हुआ हो) आवेदन के साथ प्रेषित करना होगा।

(02) <u>परीक्षा</u>

अभ्यर्थियों की हिन्दी आशुलिपिक श्रुतिलेख गति परीक्षा–75 शब्द प्रति मिनिट की गति से ली जायेगी तथा साथ ही 8000 की–डिप्रेशन प्रति घण्टा की गति से कम्प्यूटर पर हिन्दी टंकण गति परीक्षा (8000 key depressions per hour in Hindi Typing on computer) ली जायेगी। परीक्षा में हिन्दी के लिए "kruti Dev 0I 10" फॉन्ट उपयोग में लिया जायेगा।

हिन्दी आशुलिपिक श्रुतिलेख गति परीक्षा हेतु आवेदक को पेन्सिल तथा पेन साथ में लाना होगा तथा श्रुतिलेख को कम्प्यूटर पर टंकित कर लिप्यान्तरित (Transcript) करना होगा। आशुलिपिक की नोट बुक (स्टेनो–डायरी) इस कार्यालय द्वारा उपलब्ध करवाई जाएगी। इसी प्रकार कम्प्यूटर पर हिन्दी टंकण गति परीक्षा (Speed Test of Hindi

Typing on computer) हेतु कम्प्यूटर, प्रिन्टर, कागज इस कार्यालय द्वारा उपलब्ध करवाया जायेगा।

आशुलिपि की श्रुतिलेख गति परीक्षा एवं कम्प्यूटर पर हिन्दी टंकण गति परीक्षा दिनांक–18-04-26 (शनिवार) को ली जावेगी। समय एवं स्थान के बारे में पृथक से सूचना–पत्र जारी किया जायेगा।

अभ्यर्थियों की सूची एवं रोल नम्बर इत्यादि की सूचना जिला एवं सत्र न्यायालय, के सूचना पट्ट पर दिनांक–16-04-26 को लगा दी जायेगी। अतः अभ्यर्थी इस संबंध में परीक्षा प्रारम्भ होने से पूर्व जानकारी प्राप्त कर लें। पृथक से किसी प्रकार की सूचना नहीं की जायेगी।

(03) <u>अन्य</u>

परीक्षा का परिणाम बन्द लिफाफे में माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, डीग को प्रेषित किया जायेगा।

किसी भी अभ्यर्थी को हिन्दी आशुलिपि गति परीक्षा एवं कम्प्यूटर टंकण गति परीक्षा में भाग लेने के लिये इस कार्यालय द्वारा यात्रा–भत्ता या अन्य किसी प्रकार की राशि नहीं दी जायेगी।

अपरिहार्य कारणों से परीक्षा निरस्त करने अथवा परीक्षा कार्यक्रम संशोधित/परिवर्तित करने का अधिकारी माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, डीग का रहेगा।

यह सूचना न्यायालय की वेबसाईट एवं माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, डीग के सूचना पट्ट पर देखी जा सकती है।

अध्यक्ष

आशुलिपिक ग्रेड–तृतीय विभागीय पदोन्नति परीक्षा कमेटी,
जिला–न्यायालय, डीग (राजस्थान)

क्रमांकः–परीक्षा/2026/08–11 दिनांक :– 02-04-26

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, डीग (राजस्थान)
2. सूचना पट्ट, जिला एवं सत्र न्यायालय, डीग (राजस्थान)
3. अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, डीग/सं.–1,2 कामां जिला–डीग
4. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, कामां जिला–डीग
5. सिस्टम असिस्टेन्ट, जिला न्यायालय, डीग को जिला न्यायालय की वेवसाईट पर उपलोड करने हेतु
6. कार्यालय प्रति

अध्यक्ष

आशुलिपिक ग्रेड–तृतीय विभागीय पदोन्नति परीक्षा कमेटी,
जिला–न्यायालय, डीग (राजस्थान)

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, डीग
(राजस्थान)

क्रमांक स्था0/2025/12–14 दिनांक 02/04/26

प्रेषिति :

01. रीडर, जिला एवं सत्र न्यायालय, डीग (राज0)
02. अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, /सं.–01, 02 कामां जिला–डीग
03. अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, डीग
04. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, कामां जिला–डीग

विषय : आशुलिपिक ग्रेड–II के पद पर पदोन्नति बाबत विभागीय परीक्षा।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत इस न्यायक्षेत्र में आशुलिपिक ग्रेड–II के पदों को राजस्थान अधीनस्थ न्यायालय मंत्रालयिक संस्थापन नियम, 1986 (यथा संशोधित) 2019 के तहत अस्थायी रूप से पदोन्नति द्वारा भरे जाने हेतु उक्त नियम के नियम 10(2) में वर्णित विभागीय परीक्षा निम्न प्रकार दिनांक– 18-04-26 को डीग मुख्यालय पर आयोजित की जावेगी :–

1. हिन्दी आशुलिपि में 75 शब्द प्रति मिनट की गति परीक्षा एवं आशुलिपि का कम्प्यूटर पर हिन्दी रूपान्तरण
2. कम्प्यूटर पर हिन्दी टाईप में 8000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति परीक्षा

अतः संलग्न सूची में आपके अधीन कार्यरत आशुलिपिक ग्रेड–III को उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु सूचित करने की सूचना इस कार्यालय को दिनांक– 10-04-26 तक प्रेषित करें। उक्त परीक्षा हेतु कम्प्यूटर इस कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराया जावेगा। परीक्षा–स्थल व परीक्षा समय की सूचना बाद में दी जावेगी।

संलग्न : सूची 01 किता,

भवदीय,

जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
डीग (राजस्थान)

आशुलिपिक ग्रेड–तृतीय विभागीय पदोन्नति परीक्षा हेतु आवेदन

फोटोग्राफ

1. नाम :–
2. पिता का नाम :–
3. शैक्षणिक योग्यता :–
4. वर्तमान पदस्थापित न्यायालय का नाम :–
5. सेवा में प्रथम नियुक्ति की तिथि (अंकों एवं शब्दो में)
6. वर्तमान पर पद स्थाई/अस्थाई/प्रोबेशनर :–
7. संतानों की संख्या तथा उनकी जन्मतिथि :–

हस्ताक्षर अभ्यर्थी

क्रमांक :–

दिनांक :–

इस कार्यालय में आशुलिपिक ग्रेड–द्वितीय के पद पर कार्यरत उक्त कर्मचारी का आवेदन–पत्र आशुलिपिक ग्रेड–तृतीय विभागीय पदोन्नति परीक्षा, कमेटी, जिला न्यायालय, डीग को आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित किया जाता है।

हस्ताक्षर व मौहर

प्रारूप

–: शपथ–पत्र :–

मैं ———————————— पुत्र/पुत्री श्री ————————————

निवासी ————————————————————————————————

यह शपथ–पूर्वक कथन करता/करती हूँ कि दिनांक–06.07.2010 के पश्चात् मेरी तीसरी संतान उत्पन्न नहीं हुई है।

अथवा

मैं ———————————— पुत्र/पुत्री श्री ————————————

निवासी ————————————————————————————————

यह शपथ–पूर्वक कथन करता/करती हूँ कि मैं अविवाहित हूँ।

हस्ताक्षर शपथकर्ता

सत्यापन

मैं ———————————— पुत्र/पुत्री श्री ————————————

निवासी

————————————————————————————————आज

बकुकाम ———में शपथ–पूर्वक सत्यापित करता/करती हूँ कि उक्त शपथ–पत्र में वर्णित समस्त तथ्य मेरे निजी ज्ञान में सही एवं सत्य हैं, इसका कोई भाग गलत नहीं है, न ही कुछ भी छिपाया गया है।

स्थानः–

दिनांक :–

हस्ताक्षर